न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — श्री छगनलाल गोयल, आर.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या — 25 / 2017

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
खेतसिंह पुत्र धोकलसिंह, जाति राजपूत,निवासी आंवलोज, तहसील व जिला जालोर		1.श्रीमती फुसकी पुत्री राजा, पत्नी लेहराराम, जाति कुम्हार, निवासी आंवलोज, तहसील जालोर, जिला जालोर, हाल– निवासी चवरछा तहसील आहोर, जिला जालोर 2.नायब तहसीलदार जालोर

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार जालोर दिनांक 6.6.2017(ना.क.सं. 754)

उपस्थिति :–
1-श्री सुरेश कुमार सोलंकी, अभिभाषक,अपीलांट अभिभाषक की ओर से।
2.श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं.1 की ओर से।
3.श्री छोटूसिंह, सरकारी अभिभाषक,रेस्पोडेन्ट सं.2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 30.9.2019

1. अपीलांट के अनुसार अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त म्युटेशन दिनांक 6.6.2017को नही भरा गया ,इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती हैं कि म्युटेशन सं. 751 और 752 दिनांक 19.4.2017 को भरे गये थे,दिनांक 31.5.2017को जो आदेश पारित करना बताया जा रहा है,दिनांक 6.6.2017तक पटवारी के पास नही पहुंचा था,दिनांक 13.6.2017 से हडताल शुरू हो गई थी, दिनांक 6.6.2017को आंवलॉज केम्प नही हुआ था, दिनांक 5.6.2017को आंवलोज कैम्प किसी कारण से निरस्त कर दिया गया था, उसके बाद कैम्प दिनांक 27.6.17को हुआ है, इस बात की पुष्टि कैम्प दिनांक 27.6.2017 को स्वीकृत नामान्तरकरण सं.755 से साबित होती है, इस प्रकार केवल मात्र नामान्तरकरण सं. 753व 754जो अपीलांट से सबंध रखते है वे दिनांक 6.6.2017को स्वीकृत किये गये है, दिनांक 6.6.2017को गांव

डांगरा में कैम्प था और वहां पर आंवलॉज के म्युटेशन को स्वीकृत नही किया जा सकता है, इस कारण से जब दिनांक 15.6.17को स्थगन आदेश जारी हो गया और उसके बाद नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता था तो इसे पिछली तारीख में स्वीकृत होना बताया गया है जो विधि विपरीत है, जिसके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है उस पक्षका का मौके पर कब्जा भी नही है, इसके अलावा नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही गैर कानूनी है क्योंकि आदेश के अपील की म्याद पूरी नहीं हुई थी, उससे पूर्व राजस्व मण्डल का स्थगन आदेश आ चुका था और स्थगन आदेश की जानकारी मिलने के बाद यह नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है,नामान्तरकरण सं. 754 की जानकारी दिनांक 6.7.2017को तथा 754 की जानकारी दिनांक 18.7.2017को मिली, जिसकी नकल दिनांक 18.7.17को मांगने पर तहसील से पटवारी से मंगवाकर दी गयी है,नामान्तरण सं. 755 दिनांक 27.6.17को खोला गया है जबकि जवानाराम की मृत्यु दिनांक 30.3.2017को हो चुकी थी और जानकारी उसी समय हो चुकी थी तो यह नामान्तरकरण भी दिनांक 6.6.2017को भरा जा सकता था। दिनांक 19.4.17 के बाद नामान्तरकरण सं.753 व 754 केवल भरे गये है बाकि नामान्तरकरण सं.756 दिनांक 27.6.17को भरा गया है जबकि उसका तर्कनामा दिनांक 11.5.2017को निष्पादित हो चुका था।तहसीलदार जालोर के आदेश दिनांक 31.5.2017की विधिवत् अपील की जा चुकी है, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर का आदेश भी राजस्व मण्डल द्वारा स्थगित किया जा चुका है। नामान्तरकरण की कार्यवाही अपीलांट को बिना सूचना दिये बाला–बाला की गई थी, इसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 6.7.2017को प्राप्त हुई, उसी दिन नकल प्राप्त की, दिनांक 14.6.17से 22.6.17 तक राजस्व विभाग में तहसीलदार से लेकर सारे कर्मचारी हडताल पर थे, इस कारण यह म्युटेशन बैक डेट भरा जाकर स्वीकृत किया गया है। अतःम्युटेशन अपील जानकारी की तिथि से अन्दर म्याद हे, अतः अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 754 दिनांक 6.6.2017 को निरस्त करावे। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र तथा फहरिस्त के साथ म्युटेशन सं. 751 से 755 की प्रमाणित प्रति नकले पेश की गई, इस पर अपील दर्ज कर रेस्पोडेन्ट्स को सम्मन जारी किया व रैकार्ड तलब किया गया।

2. अपीलांट के धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थनापत्र के खण्डन में रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है, अतः अपीलांट की अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

3. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई । अपीलांट के अभिभाषक ने अपने अपील प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को बहस में दोहराया व बताया कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण सं. 754 दिनांक 6.6.2017को निरस्त करावे । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट सं.1 के वकील ने बताया कि म्युटेशन सं.754 दिनांक 6.6.2007 नायब तहसीलदार जालोर के आदेश के आधार पर खोला गया है,उक्त म्युटेशन आदेश की पालना में खोला गया होने से म्युटेशन की कार्यवाही में न तो अनियमितता बरती गई है और न ही किसी कानूनी प्रावधान का उल्लंघन हुआ है, अतः म्युटेशन सं. 754/6.6.2017 जो नायब तहसीलदार जालोर के आदेश की पालना में भरा गया है उसको यथावत् रखते हुए अपील खारिज की जावे।

4. उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया व रैकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में ग्राम आवलॉज नामान्तरकरण 754 को अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर निरस्त करने का निवेदन किया गया है, ग्राम आंवलॉज का नामान्तरकरण सं. 754 अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार जालोर के निर्णय 31.5.2017 (प्र.सं. 8/2016) की पालना में भरा गया । तहसीलदार जालोर के निर्णय को इस न्यायालय में चुनौति नही देकर नामान्तरकरण स्वीकार करने अनियमितताओं का उल्लेख कर उक्त उक्त नामान्तरकरण सं. 754 को अपील में खारिज करने का निवेदन किया है, आर आर डी 1986 पेज 167,देवीलाल बनाम काना में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि " Question involving investigation of facts cannot be raised in appeal" अतः उक्त न्यायिक नजीर के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल सुदा मानी जाकर,नम्बर से कम होकर,बाद तकमील तरतीब के बाजाब्ता दफ्तर दाखिल हो।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

निर्णय,आज दिनांक 30.9.2019को खुले न्यायालय में पढ़कर सुनाया गया।

(छगनलाल गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
जालोर

Signature Not Verified
Digitally signed by Chhagan Lal Goyal
Date: 2019.12.19 16:55:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: